अतारांकित प्रश्न संख्या 55 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में सभी गैस एजेंसियों को इस बारे में कुछ विशेष निदेश जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि ये अपने "नोटिस बोर्डों" पर रेगुलेटरों को बदले जाने के संबंध में जानकारी के सम्पूर्ण ब्यौरे प्रदर्शित करें ताकि उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी करते हुए गैस वितरकों द्वारा उनके 75 रुपये की फीस वसूल करने की बुरी प्रथा को समाप्त किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो कब तक और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) टूटे हुए/खराब रेगुलेटरों को मुफ्त में बदला जाता है । यदि यह साबित हो जाए कि वह उपभोक्ता के द्वारा जबरदस्ती घुमाने/लापरवाही से बरते जाने के कारण टूटा है, तो इसके लिए प्रभार (इस समय 75 रुपए) लिया जाता है ।

डबल बाटल कनेक्शनों का आवंटन

94. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के पूर्व भाग में रसोई गैस के वितरक अपने उपभोक्ताओं को डबल बाटल कनेक्शन आवंटित करने की स्थिति में नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि फिलहाल नई दिल्ली क्षेत्र के उपभोक्ताओं को ही इस समय डबल बाटल कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित क्षेत्र में डबल बाटल कनेक्शन देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को कब तक मूर्त रूप दे दिये जाने की संभावना है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) एल० पी० जी० रिफिलों की सप्लाई में बैक लाग को रोकने के लिये इंडियन आयल कारपोरेशन ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र सहित उत्तरी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को डी बी सी जारी किये जाने पर अस्थायी रूप से रोक लगा रखी है ।

(ग) दो अन्य कारपोरेशन भी अनुरोध के आधार पर दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में डी बी सी जारी कर रही है ।

(घ) विभिन्न तेल कम्पनियों के कार्यचालक और व्यापारिक निर्णयों का भिन्न होना कोई असामान्य बात नहीं है ।

(ङ) और (च) उत्पाद/बाटलिंग क्षमता/उपकरणों के उपलब्ध होने पर आशा है, कि इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा 1987 88 की अंतिम तिमाही से अपने उपभोक्ताओं को डी बी सी जारी करना आरम्भ कर दिया जायेगा ।

नये एल० पी० जी० कनेक्शन जारी किये जाने पर रोक

95. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयल कारपोरेशन के आदेशों के अनुसार,

पूर्वी दिल्ली के घरेलू गैस वितरकों ने पिछले चार महीनों से उन उपभोक्ताओं को नए एल. पी. जी. कनेक्शन जारी करने पर रोक लगा दी है जिन्होंने वितरकों के पास घरेलू गैस के नये कनेक्शनों के लिये पंजीकरण कराया था और जिन्हें गैस कनेक्शन जारी करने के लिये वितरकों द्वारा पत्र भी डाल दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) किन नियमों के अधीन नये एल. पी. जी. कनेक्शनों जारी नहीं किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

शपथ पत्रों के आधार पर एल० पी० जी० कनेक्शनों का आवंटन

96. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** 24 नवम्बर, 1986 को राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न 1789 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा न्यायिकोत्तर स्टाम्प पेपरों पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करके इनके आधार पर जारी किये गये गैस कनेक्शनों की जांच की जाये तो इस प्रकार लिये गये लगभग 80 प्रतिशत कनेक्शन जाली पाये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सभी कनेक्शनों की वास्तविकता का पता लगाने का विचार रखती है अथवा क्या इस संबंध में कोई विसंगति सरकार के ध्यान में आई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) नये कनेक्शन रिलीज करते समय शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, टर्मिनेशन वाउचर के गुम होने पर डिस्ट्रीब्यूटर केवल शपथ पत्र के आधार पर नया कनेक्शन भी तब देता है जब वह पिछले डिस्ट्रीब्यूटर से टर्मिनेशन वाउचर जारी किय जाने के बारे में पुष्टि कर लेता है।

Requirement of cement

97. SHRIMATI SUDHA VIJAYJOSHI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the annual requirement of cement in the country;

(b) the estimated annual production of cement in the country during the current year;

(c) whether there will be a shortfall or excess in production; and

(d) whether distribution and sale of cement is proposed to be de-controlled totally?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) The Working Group on Cement Industry in its Report of July, 1984 had estimated a demand for the year 1987-88 at 44.24 million tonnes. However, of late, the industry has been reporting sluggishness in the demand. For the current year the cement production target of 42.5 million tonnes has been fixed which is likely to be achieved. Hence, no shortfall in production during the current year is expected.

(d) There is no proposal to totally de-control the distribution and sale of cement in the country in the near future.